अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील सं0–28/2025
मो0 कौशर अली एवं 2 अन्य
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

मो0 हेलाल अहमद,
मो0 तहमीद हेलाल एवं
फखरा तनज अख्तर .... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
नौशाद अख्तर एवं
मो0 एजाज अख्तर .... प्रतिवादी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी .... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

मो0 कौशर अली, पिता–नैयर अली, ग्राम–चौकी बनगामा टोला, पो0–चौकी हरीपुर, थाना–कदवा, जिला–कटिहार एवं 2 अन्य ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 771, दिनांक 07.08.2025 के विरूद्ध यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा मदरसा बदरूल उलूम, चौकी, जिला–कटिहार (मदरसा सं0–647) में अपीलार्थियों की आलिम, हाफिज एवं मैट्रिक प्रशिक्षित पदों पर नियुक्ति के अनुमोदन को अस्वीकार किया गया है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रसंगाधीन मदरसा एक वित्तपोषित अल्पसंख्यक संस्थान है, जिसका संचालन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रबंध समिति करती है। उक्त मदरसे में फौकनिया स्तर की पढ़ाई होती है एवं शिक्षकों के 6 पद स्वीकृत हैं।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रसंगाधीन मदरसे में जब 4 पद रिक्त हो गए तो प्रतिवादी सं0–6 की अध्यक्षता वाली मदरसे की प्रबंध समिति ने दिनांक 09.09.2019 के प्रस्ताव द्वारा मो0 मुजाहिद आलम को मौलवी पद से प्रधान मौलवी पद पर एवं मो0 तौसीफ हुसैन को मैट्रिक प्रशिक्षित पद से इंटर प्रशिक्षित पद पर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया, जिसका अनुमोदन बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 1475, दिनांक 07.07.2021 एवं ज्ञापांक 852, दिनांक 20.06.2023 द्वारा क्रमशः दिनांक 09.09.2019 के प्रभाव से दिया गया। उक्त के आलोक में, संबंधित मदरसे में आलिम, मौलवी, हाफिज एवं मैट्रिक प्रशिक्षित पद रिक्त बच गए तथा मदरसा की प्रबंध समिति ने दिनांक 14.09.2019 के प्रस्ताव द्वारा सभी 4 रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया एवं प्रतिवादी सं0–6 को चारों रिक्त पदों पर नियुक्ति करने

Vijay

का निर्देश दिया। यह बताना महत्वपूर्ण है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने समाचार पत्र के माध्यम से सूचना जारी कर उक्त मदरसा की प्रबंध समिति को मदरसा में रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु समाचार–पत्र में विज्ञापन निकालने एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर बोर्ड को अनुमोदनार्थ आवश्यक दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–6 की प्रबंध समिति ने मदरसा में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 19.09.2019 को एक उर्दू दैनिक अखबार "आवामी न्यूज" में सभी 4 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाल कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया। उक्त विज्ञापन में नियुक्ति के शर्तों को वर्णित किया गया एवं आवेदन करने की तिथि 03.10.2019 तक रखी गई तथा योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए दिनांक 06.10.2019 की तिथि निर्धारित की गई। उक्त मदरसा की प्रबंध समिति ने रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 4 चयन समितियाँ गठित की। नियुक्ति प्रक्रिया में पर्यवेक्षण हेतु, मदरसा की प्रबंध समिति ने दिनांक 30.09.2019 के पत्र द्वारा श्री सैयद अहमद कबीर, मो0 मोजालिम अख्तर, मौलाना शमीम अहमद एवं हाफिज गुलाम रब्बानी को विशेषज्ञ (expert) के रूप में आमंत्रित किया। मदरसा प्रबंध समिति ने मदरसा में नियुक्ति के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया। चयन समितियों द्वारा तैयार किए गए पैनल सूची के अनुसार, अपीलार्थियों को उनके संबंधित पदों पर अंतिम रूप से चयन किया गया एवं सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपीलार्थियों को दिनांक 07.10.2019 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी सं0–6 ने दिनांक 10.10.2019 को आवश्यक शुल्क के साथ अपीलार्थियों की नियुक्ति से संबंधित सभी कागजात मदरसा शिक्षा बोर्ड को अनुमोदन हेतु भेजा। उक्त नियुक्तियों के अनुमोदन का मामला बोर्ड के सचिव के समक्ष लंबित था। तत्पश्चात्, कोविड–19 की वजह से बोर्ड का कार्यालय लम्बे समय तक बंद रहा एवं अपीलार्थियों के अनुमोदन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं हो सका। कोरोना महामारी की समाप्ति के बाद, अपीलार्थियों का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया, परंतु कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा बताया गया कि बोर्ड के कार्यालय का स्थान परिवर्तित होने के कारण, record उपलब्ध नहीं है। पुनः यह आपत्ति भी किया गया कि जब तक इंटर प्रशिक्षित पद पर अनुमोदन नहीं होता, तब तक अपीलार्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं दिया जा सकता। इस तरह, अपीलार्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन लंबित रह गया।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड ने दिनांक 20.06.2023 के आदेश द्वारा इंटर प्रशिक्षित पद पर मदरसा में दी गई प्रोन्नति का अनुमोदन दिनांक 09.09.2019 के प्रभाव से दिया। इसके पश्चात्, दिनांक 20.07.2023 को पुनः अपीलार्थियों के अनुमोदन हेतु बोर्ड को आवेदन किया गया, परंतु यह लंबित रहा। मदरसा शिक्षा बोर्ड के भंग हो जाने के पश्चात् बोर्ड जब पुर्नगठित हुआ, तब अपीलार्थियों ने पुनः दिनांक 25.06.2025 को अपनी नियुक्ति के अनुमोदन हेतु बोर्ड को आवेदन दिया, परंतु

दुर्भाग्यवश यह मामला अभी तक लंबित है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड ने समान नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा मदरसा सं0–387 में की गई नियुक्तियों का अनुमोदन अपने दिनांक 10.01.2022 के आदेश द्वारा दिया था, परंतु अपीलार्थियों के अनुमोदन के मामले को रोक के रखा है, जो मनमाना, पक्षपातपूर्ण एवं शक्तियों का दुरूपयोग है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने उक्त अनुमोदन के मामले को बिना बोर्ड की बैठक में रखे, प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो बिना क्षेत्राधिकार के एवं अन्यायपूर्ण है। उक्त प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 771, दिनांक 07.08.2025 में यह अंकित किया गया है कि प्रसंगाधीन मदरसा की प्रबंध समिति ने बिना मदरसा शिक्षा बोर्ड को जानकारी दिए नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी तथा अन्य मदरसा से विशेषज्ञ (expert) नियुक्त किया एवं उक्त नियुक्तियाँ बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा–शर्त्त) नियमावली, 1977 के अनुसार नहीं की गई हैं। उक्त मदरसा की प्रबंध समिति मदरसा में शिक्षकों की नियोक्ता होती है, जिसे मदरसा में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। इस प्रकार, मदरसा की प्रबंध समिति चयन समिति गठित करने का अधिकार रखती है। योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने हेतु, मदरसा के रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्ति की जानकारी प्रबंध समिति को दैनिक अखबार में विज्ञापन निकालकर देनी होती है। प्रसंगाधीन मदरसे में भी प्रबंध समिति ने नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ अपनायी हैं।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जहाँ तक बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1977 का अनुपालन नहीं किए जाने की बोर्ड द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, उसके संबंध में यह कहना उचित होगा कि उपरोक्त नियमावली, 1977 राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के लागू होने के बाद अस्तित्वहीन हो चुकी है। अतः बोर्ड के अध्यक्ष अपीलार्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन इस तर्ज पर अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उक्त नियुक्तियों में उपरोक्त 1977 की निरसित नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार, बोर्ड का प्रश्नगत आदेश बिना तर्क के पारित किया गया है, यह आदेश कानून के प्रावधानों के विरूद्ध है, अतः इसे रद्द किया जाए।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त निरसित नियमावली अर्थात बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1977 को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के लागू होने के पश्चात् अप्रवर्तनीय (not enforceable) घोषित किया जा चुका है। यह तथ्य C.W.J.C सं0–5210/1993 में पारित दिनांक 11.12.1987 के निर्णय (अंजुमन–ए–मिशाबुल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा C.W.J.C सं0–1041/1983 में पारित दिनांक 27.01.1984 के निर्णय (मो0 सोहराबुद्दीन बनाम बिहार राज्य) से स्पष्ट होता है। इन दोनों मामलों में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एक पक्षकार प्रतिवादी थे एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने यह माना कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के लागू होने के उपरांत बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1977 प्रभावहीन हो जाती है। अतः इस तरह बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,

नियमावली, 1977 के प्रभावहीन प्रावधानों को प्रश्नगत आदेश पारित करने में आधार नहीं बना सकता। प्रश्नगत आदेश में यह अंकित किया गया है कि मदरसा की प्रबंध समिति ने दिनांक 28.08.2020 को उक्त दोनों शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित कागजात उपस्थापित किया परंतु इस तथ्य को छुपाया कि उक्त दोनों पदों पर प्रबंध समिति द्वारा नियुक्ति कर ली गई है। चूँकि उक्त मदरसा की प्रबंध समिति ने दिनांक 09.09.2019 के संकल्प द्वारा मो0 मुजाहिद आलम को प्रधान मौलवी पद पर एवं मो0 तौसीफ हुसैन को इंटर प्रशिक्षित पद पर प्रोन्नति दी एवं दिनांक 11.09.2019 को प्रोन्नतियों के अनुमोदनार्थ बोर्ड को आवेदन दिया था, जिस पर बोर्ड ने दिनांक 09.09.2019 के प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया था। अतः इस संदर्भ में बोर्ड को कोई खबर नहीं थी, यह कहना जायज नहीं होगा। प्रश्नगत आदेश में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि वर्तमान में उक्त प्रबंध समिति, नियमावली, 2022 के अनुसार अनुमोदित नहीं है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मदरसा बोर्ड ने प्रतिवादी सं0–6 की प्रबंध समिति का अनुमोदन वर्ष 2019 में दिया था एवं मदरसा बोर्ड ने ही मदरसा में दी गई दोनों शिक्षकों की प्रोन्नतियों का अनुमोदन दिया है। उक्त प्रबंध समिति ने अपीलार्थियों को दिनांक 14.09.2019 को नियुक्त किया था, जब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 लागू था तथा नियमावली, 2022 नहीं आयी थी। उक्त प्रबंध समिति बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करके ही कार्य कर रही थी, अतः यह आधार पूर्णतया गलत एवं अवैध है।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो गलत है क्योंकि बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो एक सुस्थापित नियमन है। यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) का घोर उल्लंघन है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों निर्णयों में यह कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों का संचालन करने का अधिकारी प्रबंध समिति ही है, मदरसा शिक्षा बोर्ड नियंत्रण प्राधिकारी नहीं है। अतः इस संदर्भ में मदरसा की प्रबंध समिति शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सक्षम है एवं मदरसा बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है तथा बोर्ड द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन नहीं देना, पूर्णतः अवैध एवं शक्ति का दुरूपयोग है। यह भी एक सुस्थापित तथ्य है। अपीलार्थीगण उक्त मदरसे में उनके योगदान करने की तिथि से कार्यरत हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा जानबूझकर अनुमोदन नहीं दिया जा रहा है एवं इसी वजह से जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार द्वारा नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बोर्ड के प्रश्नगत आदेश को रद्द किया जाए।

<u>प्रतिवादी सं0–6 का पक्षः–</u>

प्रतिवादी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के कथनों का अक्षरशः समर्थन किया एवं बताया कि अपीलार्थियों की नियुक्ति नियमानुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई थी परंतु बोर्ड द्वारा बेवजह एवं गलत कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त अपीलार्थियों को अनुमोदन से वंचित किया गया है। बोर्ड का प्रश्नगत आदेश गलत एवं रद्द किए जाने योग्य है।

Vipin

<u>मदरसा शिक्षा बोर्ड का पक्षः–</u>

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06.05.2026 की सुनवाई के दौरान बोर्ड द्वारा पारित प्रसंगाधीन आदेश में मौजूद विसंगतियों के मद्देनजर अपीलीय प्राधिकार से अनुरोध किया कि यह मामला बोर्ड को रिमांड कर दिया जाए, ताकि विधिसम्म्त कार्रवाई की जा सके।

निष्कर्षः– सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को भिन्न–भिन्न तिथियों पर सुना गया। सभी पक्षों के लिखित जवाब, मौखिक बहस एवं संचिका में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि इस अपील में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 771, दिनांक 07.08.2025 को चुनौती दी गई है।

यह मामला प्रसंगाधीन मदरसा में की गई नियुक्तियों के अनुमोदन से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 771, दिनांक 07.08.2025 में यह अंकित किया गया है कि उक्त नियुक्तियाँ बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा–शर्त्त) नियमावली, 1977 के अनुसार नहीं की गई हैं।

अपीलार्थियों एवं प्रतिवादी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ताओं का कथन है कि उक्त मदरसा की प्रबंध समिति ने मदरसा में नियुक्ति के सभी दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चयन समितियों द्वारा तैयार किए गए पैनल सूची के अनुसार, अपीलार्थियों को उनके संबंधित पदों पर अंतिम रूप से चयनित किया एवं दिनांक 07.10.2019 को नियुक्ति पत्र जारी किया था एवं इसके पश्चात् सभी प्रासंगिक दस्तावेज मदरसा शिक्षा बोर्ड को अनुमोदनार्थ भेजा था।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जहाँ तक बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1977 का अनुपालन नहीं किए जाने की बोर्ड द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, उसके संबंध में यह कहना उचित होगा कि उपरोक्त नियमावली, 1977 राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के लागू होने के बाद अस्तित्वहीन हो चुकी है। अतः बोर्ड के अध्यक्ष अपीलार्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन इस तर्ज पर अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उक्त नियुक्तियों में उपरोक्त 1977 की निरसित नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त निरसित नियमावली को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के लागू होने के पश्चात् अप्रवर्तनीय (not enforceable) घोषित किया जा चुका है। यह तथ्य C.W.J.C सं0–5210/1993 में पारित दिनांक 11.12.1987 के निर्णय (अंजुमन–ए–मिशाबुल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा C.W.J.C सं0–1041/1983 में पारित दिनांक 27.01.1984 के निर्णय (मो0 सोहराबुद्दीन बनाम बिहार राज्य) से स्पष्ट होता है। इन दोनों मामलों में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एक पक्षकार प्रतिवादी थे एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने यह माना कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के लागू होने के उपरांत बिहार राज्य गैर–सरकारी मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1977 प्रभावहीन हो जाती है। अतः इस तरह बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,

नियमावली, 1977 के प्रभावहीन प्रावधानों को प्रश्नगत आदेश पारित करने में आधार नहीं बना सकता।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.05.2026 की सुनवाई के दौरान बोर्ड द्वारा पारित प्रसंगाधीन आदेश में मौजूद विसंगतियों के मद्देनजर इस अपील को बोर्ड को रिमांड करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 771, दिनांक 07.08.2025 को रद्द करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड को निदेश दिया जाता है कि, सभी संबंधित पक्षों को सुनकर एवं मामले की जाँच कराकर विधिसम्मत निर्णय लें। इस निदेश के साथ इस अपील की सुनवाई बंद की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......60......　　　　दिनांक....11/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 कौशर अली, पिता–नैयर अली, ग्राम–चौकी बनगामा टोला, पो0–चौकी हरीपुर, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/मो0 हसनैन रेजा, पिता–स्व0 खलीउर रहमान, ग्राम–चौकी हरीपुर, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/फरहत जहान, पति–फजले रसूल, ग्राम–धपरसिया, पो0–चौकी हरीपुर, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/मो0 नौशाद अहमद, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा बदरूल उलूम, चौकी, जिला–कटिहार, मदरसा सं0–647/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कदवा, जिला–कटिहार/जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 11/5/26
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।